न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 111/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 धनीराम उम्र 7 वर्ष पुत्र रंगलाल।
2 मोनू उम्र 4 वर्ष पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासीगण बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (नाबालिगान) जरिये वादमित्र नाना हीरालाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम डोटासरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र गोरूराम।
2 नेमीचन्द पुत्र भागीरथ मल।
3 रामचन्द्र पुत्र भागीरथ मल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

4 महेश पुत्र भागीरथ मल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ बहैसियत भूमिधारी।
6 उपपंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लक्ष्मणगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक।
8 बिमला देवी पुत्री भागीरथमल।
9 मोहनी देवी पुत्री भागीरथमल।
10 छोटी देवी पुत्री भागीरथमल समस्त जाति जाट निवासीगण बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 RTA1955
विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 16.06.15
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर कैम्प लालासी पीठासीन अधिकारी
श्री महावीर प्रसाद नायक आरएएस दावा संख्या
104/2013 बउनवानी धनीराम आदि बनाम भागीरथ
दावा बाबत इस्तकरार हक बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
दावा अर्न्तगत धारा 88,53,188 RTA

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधेश्याम अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–23.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 104/2013 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 144/04, 147 के सन्दर्भ में घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज किया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने 16.06.2015 को अभियान में बिना विधिक प्रकिया अपनाये दावा खारिज किया है विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रार्थना पत्र की बहस में लम्बित थी बिना सुचना कैम्प में रखकर वाद खारिज कर दिया है जो विधि के विरूद्व है प्रकरण रिमाण्ड किया जायें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2009–10 (Supp.) पेज 485 एवं आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1136 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट का वाद विधिक बिन्दु पर चलने योग्य नही था प्रकरण में हिन्दु सहभागिता कानून लागु नही होता है सहखातेदारों का पक्षकार नही बनाया है विचारण न्यायालय ने मूल वाद के विधिक बिन्दुओं को आधार बनाकर वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली प्रार्थना पत्र के बहस हेतु नियत थी विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर पक्षकारान की अनुपस्थिति में बिना बहस सुने विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में बिना प्रकिया अपनाये, बिना उभयपक्ष को सुने सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो विधिक प्रकिया के विपरित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर उभयपक्ष को सुनकर पुन गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर